(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है और समूची आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ पाने की हकदार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सप्लाई अनुपूरक स्वरूप की होती है और इसका प्रयोजन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची मांग को पूरा करना नहीं होती है। इन कारणों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन मासिक आधार पर किया जाता है और ऐसा करते समय केन्द्रीय पूल में मौजूद भण्डार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं, मौसमजन्य कारणों तथा बाजार में उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। लेवी चीनी के मामले को छोड़कर, अन्य आबंटन आबादी के आधार पर नहीं किए जाते हैं। लेवी चीनी का आबंटन, 1-10-86 को अनुमानित आबादी के लिए सामान्यतया प्रति व्यक्ति प्रतिसाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। अगस्त 1991 से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की है।

बिजली उपकरणों का आई. एस. आई. चिन्ह के बिना उत्पादन

545. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में कई बिजली के उपकरणों का उत्पादन आई. एस. आई. चिन्ह के बिना ही हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के बिजली के उपकरणों के उत्पादन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने निम्नांकित आदेश जारी किए हैं :—

(1) घरेलू बिजली के उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1981, जिसके तहत कई बिजली के उपकरण संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होने आवश्यक हैं, और

(2) बिजली के उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1988, जिसके तहत कुछ बिजली उपकरणों के विनिर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणीकरण प्राप्त करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का मूल्य

546. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इन वस्तुओं का मूल्य कितना बढ़ाया गया है और कितनी बार बढ़ाया गया है; और

(ग) इस समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेची जाने वाली वस्तुओं का मूल्य कितना-कितना है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल की केन्द्रीय निर्गम कीमतों में एक बार 1990 में और एक बार 1991 में संशोधन किया गया था। जायातित खाद्य तेलों और लेवी चीनी की केन्द्रीय निर्गम कीमतों में एक बार 1991 तथा एक बार 1992 में संशोधन किया गया था। अन्य संशोधनों के साथ-साथ चालू कीमतें विवरण में दर्शाई गई हैं। **(सीधे देखिए)**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जो उचित मार्जिन जोड़ कर अन्तिम खुदरा कीमतें तय करते हैं, जिसमें ढुलाई और अन्य व्यय शामिल होते हैं। संपृक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किए क्षेत्रों में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि इन क्षेत्रों के लिए जारी किए गए चावल तथा गेहूं की खुदरा कीमतों में केन्द्रीय निर्गम कीमतों से 25 पैसे प्रति किलो से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

विवरण

(रु० प्रति क्विन्टल)

वस्तु	केन्द्रीय निर्गम कीमतें			
	उचित दर दुकान		सं० आ० वि० परियोजना क्षेत्र	
	25-6-90	28-12-91	25-6-90	28-12-91
चावल				
कामन	289	377	239	327
फाईन	349	437	299	387
सुपरफाईन	370	458	320	408
गेहूं	उचित दर दुकान		सं०आ० वि० परियोजना क्षेत्र	
	1-5-90	28-12-91	1-5-90	28-12-91
	234	280	184	230
लेवी चीनी (प्रति किलो)	24-7-91	21-1-92		
	6.10	6.90		
आयातित खाद्य तेल	26-1-91		4-1-92	
मूंफ	16500 मी० टन		22000 मी० टन	
15 किलो टीन	19000 मी टन		25000 मी० टन	
मिटटी का तेल	15-10-90		24/25-7-91	
	2446.16/ किलो० ली०		2201.54/ किलो० ली०	

उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चल वाहन खरीदने के लिए केन्द्रीय सहायता

547. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए चल वाहन खरीदने हेतु वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्रीय सहायता से कितने चल वाहन खरीदे गए; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश ने वाहनों की खरीद के लिए कितनी धन-राशि की मांग की है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सय्यदशहाबुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को मोबाइल वैनों की खरीद के लिए 1991-92 में वित्तीय सहायता नहीं दी थी ।

(ग) 1992-93 में मोबाइल वैनों की खरीद के लिए सहायता हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।